



डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि०/सी०-०९/पी०एस०-232सी०/2017

दिनांक : 24 मई, 2017

सी०पी०एम०टी०-2016 के आवेदनकर्ताओं की फीस वापसी से सम्बन्धित अद्यतन सूचना

सी०पी०एम०टी०-2016 (CPMT-2016) परीक्षा के अभ्यर्थियों की फीस वापसी के संबंध में सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट (website) पर उपलब्ध कराई गई सूचना (पत्रांक: लो०अ०वि०/सी०-०९/पी०एस०-190-सी/2017) दिनांक 09 फरवरी 2017 के सापेक्ष स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रथम चरण की फीस वापसी की प्रक्रिया दिनांक 20 फरवरी 2017 से प्रारम्भ की गई थी। तदसम्बन्ध में प्रथम चरण की फीस वापसी की प्रक्रिया के दौरान बैंक द्वारा जिन अभ्यर्थियों के खाते त्रुटिपूर्ण पाए गए अथवा जिन्होंने फीस वापसी हेतु सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट (website) पर अपने खातों के विवरण को अपलोड नहीं किया था, उनसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना एवं निर्देश निम्नवत हैं :-

1. सी०पी०एम०टी०-2016 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 145288 अर्ह अभ्यर्थियों में से मात्र 133039 अभ्यर्थियों ने फीस वापसी हेतु अपने बैंक खाते का विवरण सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट (website) पर अपलोड किया था। अवशेष 12249 अभ्यर्थियों को अपने खाते का विवरण सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट (website) पर अपलोड करने के लिए दिनांक 29 मई 2017 से दिनांक 20 जून 2017 तक एक बार पुनः किन्तु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस अन्तिम अवसर के उपरांत इन 12249 अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी खाते का विवरण अपलोड करने में असफल रहते हैं उनके संदर्भ में यह मान लिया जाएगा कि वह फीस वापसी की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक नहीं हैं, अतः उनके द्वारा इस अन्तिम अवसर के उपरांत प्रेषित किसी भी अनुरोध या प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें भविष्य में फीस वापसी की प्रक्रिया के सन्दर्भ में पुनः मौका नहीं प्रदान किया जाएगा।
2. सी०पी०एम०टी०-2016 परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 496 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आवेदन शुल्क जमा किया था किन्तु आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण न करने के कारण उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया था। विश्वविद्यालय विधि परामर्शी की विधिक राय तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.04.2017 में लिए गए निर्णय के अनुसार इन 496 अभ्यर्थियों को भी फीस वापसी की प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन 496 अभ्यर्थियों को अपने बैंक खाते का विवरण सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट (website) पर अपलोड करने के लिए दिनांक 29 मई 2017 से दिनांक 20 जून 2017 तक अवसर प्रदान किया जा रहा है।
3. फीस वापसी की प्रक्रिया हेतु 54571 अभ्यर्थियों ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया (SBI) से संबंधित खातों का विवरण सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट पर अपलोड किया था। प्रथम चरण की फीस वापसी की प्रक्रिया में बैंक के Pre-transaction तथा Post-transaction के Software द्वारा इनमें से अनन्तिम (tentative) रूप से 2404 खातों को विभिन्न कारणों से त्रुटिपूर्ण घोषित किया गया है। इन सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 29 मई 2017 से दिनांक 20 जून 2017 तक सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट पर अपने खातों से संबंधित विवरण को एडिट/परिवर्तित (EDIT/CHANGE) करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
4. फीस वापसी की प्रक्रिया हेतु 78468 अभ्यर्थियों ने अन्य बैंको (Other Bank) से संबंधित खातों का विवरण सी०पी०एम०टी०-2016 वेबसाइट पर अपलोड किया था। प्रथम चरण की फीस वापसी की प्रक्रिया में बैंक के Pre-transaction Software द्वारा अनन्तिम (tentative) रूप से 4789 खातों को त्रुटिपूर्ण घोषित किया गया है।

इन अभ्यर्थियों को दिनांक 29 मई 2017 से दिनांक 20 जून 2017 तक सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर अपने खातों संबंधित विवरण को EDIT करते हुए त्रुटि दूर करने अथवा खाता विवरण को परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। तदकम में बैंक के Post-transaction Software द्वारा घोषित त्रुटिपूर्ण खातों का विवरण बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाना शेष है। Post-transaction Software द्वारा जिन खातों को त्रुटिपूर्ण घोषित किया जाएगा उनसे संबंधित सूचना पृथक रूप से सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों को अपने खातों संबंधित विवरण को EDIT करते हुए त्रुटि दूर करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

5. उपरोक्त बिन्दु 1 से 4 तक के विवरण से संबंधित अभ्यर्थियों को तदसम्बन्ध में पृथक रूप से उनके द्वारा सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर अपलोड किए गए E-mail तथा मोबाइल पर सूचना भी प्रेषित की जा रही है।

6. उपरोक्त 1 से 4 तक के विवरण से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर फीस वापसी हेतु खातों के विवरण को अपलोड करने अथवा खातों के विवरण की त्रुटि दूर करने के लिए खाता-विवरण को EDIT करने हेतु यह अंतिम अवसर है। इस अवसर के उपरांत भी यदि अभ्यर्थी द्वारा खातों के विवरण को अपलोड नहीं किया जाता अथवा खातों के विवरण संबंधी त्रुटि को दूर करने के लिए खाता-विवरण को EDIT नहीं किया जाता है तो भविष्य में उन्हें इस संदर्भ में अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा।

अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार पुनः खातों के विवरण को सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया निम्नांकित रूप में उल्लिखित की जा रही है –

अभ्यर्थियों द्वारा सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर अपलोड किए गए E-mail पर उन्हें सी0पी0एम0टी0-2016 वेबलिंग (CPMT-2016 weblink) के साथ निम्न प्रकार से उनका सी0पी0एम0टी0-2016 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नम्बर (Application Registration Number) तथा पासवर्ड (Password) प्रेषित किया जाएगा –

<https://www.cpmtup2016.org/>

Your Application Registration No.- CPMTxxxxxxx

Your Password - xxxxxxxx

अभ्यर्थी उक्त सूचना का उपयोग कर अपने सी0पी0एम0टी0-2016 एकाउण्ट में लाग-इन (LOGIN) करेंगे तथा "FEE REFUND ACCOUNT DETAIL" लिंक को सेलेक्ट कर निम्नांकित सूचनाएं एडिट/परिवर्तित (EDIT/CHANGE) कर अपलोड (UPLOAD) करेंगे–

ACCOUNT NO.

BANK NAME

BRANCH ADDRESS

IFSC CODE

NAME OF ACCOUNT HOLDER


ADDRESS OF ACCOUNT HOLDER

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सूचनायें सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर सबमिट करने से पहले भलीभांति यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड की गई बैंक खातों से संबंधित सूचनायें त्रुटिरहित हैं।

7. अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि बिन्दु 1 से 4 तक के विवरण से संबंधित सी0पी0एम0टी0-2016 अभ्यर्थियों के ही वेबलिंग (weblink) सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर खोले जा रहे हैं। बिन्दु 4 में उल्लिखित ऐसे अभ्यर्थियों जिनके खातों संबंधी त्रुटि का विवरण बैंक द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है को


छोड़कर जिन अभ्यर्थियों के खातो में प्रथम चरण की धनराशि सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो चुकी है उनके वेबलिंक (weblink) सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट पर किसी भी दशा में नहीं खुलेंगे।

8. यह भी सूच्य हो कि शासन द्वारा परीक्षा तैयारियों में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शासन से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त होते ही अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की धनराशि वापस किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।


राज्य नोडल अधिकारी
सी0पी0एम0टी0-2016

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
3. कुलपति (चेयरमैन, सी0पी0एम0टी0-2016), डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
4. मुख्य शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, फैजाबाद।
5. सी0पी0एम0टी0-2016 वेबसाइट प्रोवाइडर।
6. मूल पत्रावली।


राज्य नोडल अधिकारी
सी0पी0एम0टी0-2016